राजस्व वाद संख्या:– 144/2020
मगाराम बनाम कमला वगै0
निर्णय दिनांक:– 09.11.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 144/2020

मगाराम पुत्र स्व0 बिहारी राम जाति कुम्हार, निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी स्व0 श्री बजरंग, जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. मुकेश पुत्री स्व0 श्री बजरंग, जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद मुकेश पत्नी लेखराम जाति कुम्हार निवासी खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. लीलम पुत्री स्व0 श्री बजरंग, जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद लीलम पत्नी सुरेन्द्र जाति कुम्हार निवासी हमीरवास तहसील राजगढ़ जिला चूरू राज0।
4. संजय पुत्र स्व0 श्री बजरंग, जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. बनवारी पुत्र स्व0 श्री जगमाल जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. घड़सी पुत्र स्व0 श्री बिहारी जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. नाराणा पुत्र स्व0 श्री बिहारी जाति कुम्हार निवासी भावठड़ी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा प्रबन्धक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
9. पंजाब नैशनल बैंक शाखा प्रबन्धक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक –09.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा न0 469 रकबा 2.34 है0 की कृषि भूमि में वाहन, उंट गाडी, मवेशी, भूमि जोतने के लिये ट्रेक्टर आने जाने के लिये अनावेदकगण न0 01 लगायत 04 की भूमि , ख0न0 470 रकबा 0.30 है0 एवं अनावेदक न0 05 की भूमि ख0न0 471 रकबा 2.07 है0 में से पश्चिम दिशा के सहारे सहारे होते हुये दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की और 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क ए बी जिसे लाल स्याही से दर्शित किया गया है को रास्ता घोषित किया जाना फरमाया जावे एवं अनावेदक न0 10 तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ते के लिये राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी सं0 9 की और से श्री मनोज कुमार डिग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया । शेष अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2021/106 दिनांक 04.03.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 470 व 471 में पूर्व में कोई कटानी रास्ता नहीं है एवं ना ही कोई प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है । नया रास्ता कायम करने से ख0 न0 471 रकबा 2.07 है0 में 106X4=424 वर्गमीटर भूमि बनवारी पुत्र जगमाल जाति कुम्हार की कम होगी तथा ख0न0 470 रकबा 0.30 है0 में 48X4= 192 वर्गमीटर भूमि कम होगी। दोनो ख0न0 में 424+192 =616 वर्गमीटर भूमि कम होगी जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से A से B दर्शाया गया है। तथा दूसरी तरफ रास्ता ख0न0 1021/468 में भी कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित हो सकता है परन्तु ऐसा करने से ख0न0 1021/468 के दो भाग हो जायेगें।आवेदक की कृषी भूमि ख0न0 469 वाके स्थित ग्राम भावठड़ी में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021 से प्रतित होता है की ख0 न0 471 की दक्षिणी सीमा पर आम रास्ता स्थित है । ख0न0 471 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 106X4=424 वर्गमीटर तथा ख0न0 470 पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 48X4= 192 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 616 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 471 में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 106X4 =424 वर्गमीटर तथा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

ख0न0 470 में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 48X4 =192 वर्गमीटर कुल 616 वर्गमीटर भूमि खसरा न0 469 तक नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

भूमि खेत ख0न0 469 रकबा 2.34 हैक्टर स्थित ग्राम भावठड़ी तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021 के अनुसार ख0न0 471 में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 106X4 =424 वर्गमीटर तथा ख0न0 470 में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 48X4 =192 वर्गमीटर कुल 616 वर्गमीटर नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner